न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

क्रमांक संख्या
5/1/2022

तारीख दायर
24.01.2022

तारीख निर्णय
15.06.2022

बउनवान

1– श्रीमति कैला देवी पुत्री स्व. श्री नारायण पत्नी श्री जयराम गुर्जर उम्र करीब 70 साल हाल निवासी ग्राम किशनपुर डोबातहसील व जिला अलवर

––अपीलांट

बनाम

1– हरिसिंह पुत्र गंगू जाति गुर्जर
2– जगजीवन पुत्र गंगू जाति गुर्जर
3– रामकरण पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर
4– तोता पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर
5– दया पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर
6– दुल्ली पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर
7– बनवारी पुत्र छोटक्या जाति गुर्जर
8– मन्नी उर्फ मुन्नी बेवा सीता जाति गुर्जर
9– कमलसिंह पुत्र सीता जाति गुर्जर
10– रामकरण दत्तक पुत्र सीता जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर
11– ग्राम पंचायत उमरैण जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उमरैण, तहसील व जिला अलवर

––रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध इंतकाल
संख्या 50 ग्राम बाढकेशरपुर दिनांक 07–09–1974

: निर्णय :

अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता श्री नारायण का स्वर्गवास हो गया था जिनके स्वर्गवास होने के पश्चात उनका इंतकाल विरासत संख्या 50 खोला गया किन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उसके वारिसान की कोई जांच किये हुए स्व0 श्री नारायण का इंतकाल उसके तीनों पुत्र गंगू, छोटक्या व सीता के नाम तस्दीक किये जाने का आदेश दिनांक 7–09–1974 को प्रदान किया। जो समस्त कार्यवाही मिन अपीलांट के खिलाफ यकतरफा में की गई थी और जिसकी वावत मिन अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हो सकी। पिताजी के स्वर्गवास होने के वाद मेरे तीनों भाई गंगू, छोटक्या व सीता मुझे समय–समय पर कृषि पैदावार में से 1/4 हिस्सा देते रहे एवं उनके स्वर्गवास होने के वाद भी रेस्पो0 समय–समय पर मुझे 1/4 हिस्सा कृषि पैदावार में से देते रहे और वो यह विश्वास दिलाते रहे कि तुम्हारा यानि अपीलांट का पिताजी की आराजी में 1/4 हिस्सा है, इस प्रकार मिन अपीलांट सद्भावना पूर्वक इस विश्वास में रही कि पिताजी के आराजी में मिन अपीलांट का हिस्सा भी दर्ज है। हाल ही में मकर सक्रांति के अवसर पर मिन अपीलांट माह जनवरी सन् 2022 में अपने पीहर आई इस दौरान दिनांक 10–01–2022 को कुछ लोग मेरे पीहर आये और वो रेस्पो0 से पिताजी की आराजी को खरीद करने की बातचीत करने लगे। जिस पर मिन अपीलांट ने अपने भतीजों से अपने हिस्से के बारे में कहा तो उन्होंने सर्वप्रथम दिनांक 10–01–2022 को यह जानकारी दी कि दादाजी स्वर्गीय श्री नारायण का इंतकाल

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

विरासत उनके तीनों पुत्र गंगू, छोटक्या व सीता के नाम तस्दीक किया गया है तथा अपीलांट का नाम दर्ज नहीं है। इसलिए वो अपीलांट को कोई हिस्सा नहीं देंगे। इस प्रकार मिन अपीलांट को उक्त इंतकाल की बाबत सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10-01-2 0 2 2 को हुई जिस पर दिनांक 12-01-2022 को नकल प्राप्त करने का प्राथना पत्र प्रस्तुत किया गया और जिस पर दिनांक 12-01-2022 को नकल प्राप्त हो कर आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश है जो उपरोक्त प्रकार से अंदर मियाद पेश है तथा उपरोक्त समय दिनांक 07-09-1974 से दिनांक 10-01-2022 तक का समय जानकारी के अभाव में व उसके बाद से आज तक का समय नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह आदि में व्यस्त होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाये जाने योग्य है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। आज्ञा ग्राम पंचायत कतई गलत व खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने अपना कथित आदेश पारित करने से पूर्व मृतक के वारिसान के बारे में ना तो कोई जानकारी ली और ना ही इस संबंध में वार्ड पंच से कोई जानकारी की और ना ही कथित इंतकाल को पंचायत के कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया बल्कि समस्त कार्यवाही गुपचुप में करते हुए तत्कालीन सरपंच ने उक्त इंतकाल तस्दीक फरमाया है जो गलत है और निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलांट मृतक श्री नारायण की एक पुत्री है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रियों को भी अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस पकार मृतक श्री नारायण का जो इंतकाल तीनों पुत्रों के नाम तस्दीक किया गया है, उसके स्थान पर उसके उपरोक्त तीनों पुत्र व अपीलांट के नाम बहिस्से बराबर-बराबर तस्दीक किया जाना चाहिए था किन्तु ग्राम पंचायत ने केवल मृतक के तीनों पुत्रों के नाम इंतकाल तस्दीक किया है जो गलत है और जिसे कत हुए उसक उपरापत तीनों पुत्र व अपीलांट के नाम बहिस्से बराबर-बराबर तस्दीक किया जाना आवश्यक है। 8- यहकि मृतक श्री नारायण के स्वर्गवास होने के पश्चात र अपीलांट ने किसी भी प्रकार से अपना हिस्सा अपने भाई अथवा अपने भतीजों के नाम आज तक भी त्याग नहीं किया है तथा अब तक मिन अपीलांट अपने हिस्से के रूप में उनकी खातेदारी की आराजी गत खसरा नं. 62 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व 68 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बाढकेशरपुर में से अपना हिस्सा प्राप्त करती रही है। किन्तु चूंकि अब रेस्पो0 ने हिस्सा देने से मना कर दिया।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित इंतकाल संख्या 50 ग्राम बाढकेशरपुर दिनांक 07-09-1974 को संशोधित अथवा निरस्त फरमाते हुए उक्त इंतकाल 1/4 हिस्से तक मिन अपीलांट के नाम तस्दीक फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. जर्ये नोटिस तलब किये रेस्पोडेन्ट ने जवाब पेश किया कि अपीलांट का ये कहना कतई गलत है कि ग्राम पंचायत द्वारा रैस्पोंडेंट के बुजुर्ग नारायण पुत्र हरनन्द का इंतकाल संख्या 50 वाके ग्राम बाढ़केसरपुर उसके 3 पुत्रों गंगू, छोटक्या व सीता के नाम से गलत दर्ज किया गया हो। वास्तव में नारायण पुत्र हरनन्द के स्वर्गवास के बाद सही तरीके से ग्राग पंचायत द्वारा वार्ड पंचों की मौजूदगी में नारायण पत्र हरनन्द के जायज वारिसान उसके तीनों पुत्र गंगू, छोटक्या व सीता के नाम इतकाल संख्या 50 दिनांक 07.09.1974 तस्दीक किया जाकर दर्ज किया गया है जिस इंतकाल के बाबत् अपीलान्ट का जानकारी होना व ना होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि अपीलांट का मृतक नारायण से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलांट नारायण की पुत्री नहीं है बल्कि वह गांव के दूसरे गोत्र के अन्य व्यक्ति गुलाब पुत्र नानका की पुत्री है। अपीलांट का ये कहना कतई गलत है कि गंगू, छोट्क्या व सीता की बहन हो और उसको समय समय पर कृषि पैदावार का 1/4 हिस्सा देते रहे हों और अपीलांट का 1/4 हिस्सा हो। वास्तव में अपीलांट का मृतक नारायण की पुत्री नहीं है ना ही गंगू, छोट्क्या व सीता की बहन है और इस प्रकार अपीलांट का रैस्पोंडेंट के परिवार से किसी प्रकार कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलांट ने झूठ तथ्यों के आधार पर यह अपील व दरख्वास्त पेश की है जो दरख्वास्त इंतकाल दर्ज होने के 48 साल बाद(एक बहुत लंबे अर्से के बाद लगभग आधी शताब्दी) के बाद पेश किया है जो अपील मियाद बाहर मियाद प्रार्थना पत्र में अपीलाट द्वारा 10.01.2022 की तारीख मनगढंत. झूठी दर्ज का ह जो तारीख अपील पेश करने की मंशा मात्र से दर्ज की गई है। जब अपीलांट का रैस्पोंडेंट के परिवार व उसके बुजुर्गान से किसी प्रकार कोई संबधं व

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

सरोकार ही नहीं है तो उनका हिस्सा देने व ना देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में 12.01.2022 व 10. 01.2022 की तारीखें जो दर्ज की हैं वो झूठी व मनगढंत हैं। प्रथम तो इंतकाल संख्या 50 में दर्ज आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है दूसरी तरफ यह अपील मियाद बाहर (करीब 48 साल बाद) पेश की गई है जिसका कोई वाजिब कारण भी अपीलांट द्वारा अपनी दरख्वास्त में नहीं लिखा गया है जिससे अपीलांट का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष की बहस सुनी।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 07.09.1974 को दर्ज नामान्तकरण को चुनौती दी है। जिसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रश्नगत सम्पति का कई बार अन्तरण हो चुका है। सभी लेन–देन कर्ताओ को कोई पक्षकार नही बनाया है। अपीलान्ट द्वारा लगभग 48 साल बाद अपील पेश की है। जिसका कोई समुचित कारण अंकित नही किया है। अपीलान्ट नें न्यायालय को गुमराह करके बिना किसी राजस्व दस्तावेज पेश कियें, ग्राम बाढकेसरपुर की अपील पेश कर स्थगन आदेश ग्राम उमरैण की आराजी पर प्राप्त किये है। अपीलान्ट का प्रश्नगत आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। अपीलान्ट नारायण की पुत्री नही है। बल्कि वह गांव के दूसरे गौत्र के अन्य व्यक्ति गुलाब पुत्र नानका की पुत्री है। अतः अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावें। वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस की ताईद में आरआरडी 2002 पेज 414 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा इंतकाल संख्या 50, निर्णय दिनांक 07.09.1974 वाके ग्राम बाढकेसरपुर के विरूद्व अपील पेश की है। अपीलान्ट ने स्वयं को नारायण पुत्र हरनन्द मृतक की पुत्री माना है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट मृतक नारायण की पुत्री हों। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत विवादित इन्तकाल के 48 साल बाद अपील पेश की है, जिसका अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरात आरआरडी 2002 पेज 414 कौशल्या व अन्य बनाम रामकरण व अन्य रिविजन न. 114 व 115/97 निर्णय दिनांक 27.09.2000 Rajasthan Land Revenue Act, Section 135-Revision against order of Addl. Divisional Commissioner- Held, mutation No. 390 dt. 12.6.73 was attested in name of 'R' who transferred part of land to 'M' and mutation No. 881 dt. 21.6.89 was attested- Though daughters of 'R' were entitled for succession but they remained silent for a long time. वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नजीरात मौजूदा प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होती है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

(प्यारे लाल सौंखवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया।

(प्यारे लाल सौंखवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर